Annexure - I (3)

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः आर-37/जे0डी0/लखनऊ-16(ईको03)/247

दिनांकः 3-8-2016.

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः मैसर्स प्रासू इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0, द्वारा प्लाट न0 जी0एच0-05बी0, सेक्टर-16बी0, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित (एस0के0ए0 ग्रीनआर्च) ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः यूआईडी:2016/22901/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5480/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ईकोअेक-03 ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 25-07-2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा अभिलेखो का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः- कुल प्लाट एरिया-20,120.77 वर्ग मी0 है। जिसमे प्रस्तावित 04 अदद टावरों का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत है:-

कमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊँचाई मी0।
1	टावर-एस्टर	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 30	631.53	543.33	93.40
2	टावर-ऑर्चिड	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 30	808.96	692.41	93.40
3	टावर-तुलिप	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 29	808.96	692.41	87.50
4	टावर-जिनिया	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 29	631.53	543.33	87.50
5	कॉमर्शियल	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 02	234.71	229.27	07.70

बेसमेन्टः- प्रश्नगत भवन मे डबल बेसमेन्ट अपर/लोअर बेसमेन्ट जिसका क्रमशः अपर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-14,655.77 वर्ग मी0 एवं लोअर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-16,459.70 वर्ग मी0 प्रस्तावित है।

भवन का अधिभोग विवरणः- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवसीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः-

1-पहुँच मार्गः- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 60 मी0 तथा दूसरी तरफ भी 24 मी0 रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वारः- प्रश्नगत भवन मे प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

3-सैटबेकः- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।
बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।
सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।
डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

4-निकास मार्गः- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित है प्रत्येक स्टेयर की चौडाई 01.25 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

5-रिफ्यूज एरियाः- भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।

(अजय कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
मुख्या0 लखनऊ।

1–भूमिगतः–प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

2–पम्पसः–प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है।

3–टेरिस टैंकः–प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0. स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

4–होजरीलः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

5–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टसः– प्रस्तावित भवन मे रिंग लाईन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधानित है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

12–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त ब्लाको मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

13–पी0ए0सिस्टम :– सम्पूर्ण भवन में पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करते हुए भवन के सभी तलों के कॉमन एरिया में लाउडस्पीकर लगाये जायें तथा पी0ए0 सिस्टम का कन्ट्रोल स्विच एवं माईक्रोफोन,एम्पलीफायर भूतल पर नियन्त्रण कक्ष (कण्ट्रोल रूम/सुरक्षा कक्ष) में अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाये। नियन्त्रण कक्ष में लिफ्ट के इन्टरकम्यूनिकेशन सिस्टम के साथ–साथ सभी आकस्मिक सेवाओं से सम्बन्धित संचार सुविधा उपलब्ध रहे।

14–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाइटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानो के अनुसार कराया जाना प्राविधानित होगा।

15–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन एवं सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8, सी–9 एवं सी 10 में उल्लेखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

16–भवन की सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट,स्टेयर कैसो व कोरिडोर की लाइटो को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से प्रथक लाईन(वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोडा जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार प्रासू इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0, द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–05बी0, सेक्टर–16बी0, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–03 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–प्रासू इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0, द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–05बी0, सेक्टर–16बी0, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।